सत्यमेव जयते
लोक मूलो दण्ड:
आयकर विभाग

FAST-DS 2026

FOREIGN ASSETS OF SMALL TAXPAYERS DISCLOSURE SCHEME



Missed disclosing a foreign asset earlier?

Disclose it now.

ONE TIME OPPORTUNITY

Disclosure Window

16th August, 2026

to

31st December, 2026

BROCHURE

FAQs

CHATBOT
KAR SAATHI

For more information visit

www.incometax.gov.in

आयकर विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

लघु करदाताओं की विदेशी परिसंपत्तियों का खुलासा योजना, 2026





स्कैन करें

डाउनलोड करें

मुस्कुराएं

काला धन अधिनियम, 2015

काला धन अधिनियम, 2015 में ऐसी विदेशी परिसंपत्तियों और आय पर कराधान का प्रावधान किया गया है, जिस पर निवासियों (रेजिडेंट्स) द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है। इस अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि निवासियों द्वारा आयकर विवरणी में सभी विदेशी परिसंपत्तियों (असेट्स) का खुलासा किया जाए। अन्य बातों के साथ-साथ इसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं -

- **ऐसी आय और परिसंपत्तियां, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है:** 30% की दर से कर तथा आय की 90% शास्ति (पैनल्टी) अथवा परिसंपत्तियों (असेट्स) का वर्तमान उचित बाजार मूल्य।
- **आयकर विवरणी में परिसंपत्तियों (असेट्स) का खुलासा न करना:** खुलासा न करने के लिए रूपए 10,00,000 की शास्ति (पैनल्टी), भले ही परिसंपत्तियों (असेट्स) का अर्जन कर भुगतान की गई आय से किया गया हो, या परिसंपत्ति करदाता के अनिवासी रहने के दौरान खरीदी गई हो।

लघु करदाताओं की विदेशी परिसंपत्तियों (असेट्स) की खुलासा योजना के बारे में

लघु करदाताओं की विदेशी परिसंपत्तियों (असेट्स) का खुलासा योजना के द्वारा पात्र करदाता (जैसे कि- तकनीकी पेशेवर, छात्र, लौटने वाले अनिवासी भारतीय (नॉन-रेजिडेंट्स इंडियंस)) अपनी परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों की घोषणा करके काला धन अधिनियम, 2015 के तहत शास्ति (पैनल्टी) से बच सकते हैं।

परिसंपत्तियों की श्रेणी	पात्रता की सीमा	भुगतान
❖ ऐसी आय, जिस पर कर नहीं दिया गया है ❖ बिना कर चुकाए गए धन से अर्जित विदेशी परिसंपत्ति (असेट्स)	कुल मूल्य - 1 करोड़ रुपये	आय के मूल्य का 60% और परिसंपत्तियों (असेट्स) का उचित बाजार मूल्य
ऐसी परिसंपत्तियां (असेट्स) जिनकी घोषणा आयकर विवरणी में नहीं की गई थी, किंतु जिनकी खरीद कर-भुगतान किए गए धन से की गई थी या करदाता के अनिवासी होने के दौरान खरीदी गई था।	कुल मूल्य - 5 करोड़ रुपये	1 लाख रुपये का एकसमान शुल्क (फ्लैट फी)

उपर्युक्त योजना के लिए ऐसे करदाता पात्र नहीं हैं जिनके संबंध में काला धन अधिनियम के तहत कार्यवाही पूरी हो चुकी है या धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

लघु करदाताओं की विदेशी परिसंपत्तियों की खुलासा योजना की मुख्य विशेषताएँ

- योजना के तहत घोषणा के 2 महीने के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक है (ब्याज के साथ अतिरिक्त 2 महीनों में भुगतान किया जा सकता है)।
- संपूर्ण प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से - पहचान विहीन (फेसलेस) तरीके से की जाएगी।
- काला धन अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत निर्धारण; शास्ति (पैनल्टी) और काला धन अधिनियम के तहत अभियोजन से पूर्ण छूट।

लाभ-एक बार मिलने वाला अवसर (वन-टाइम विंडो)

- वे करदाता जो अपनी पुरानी विदेशी परिसंपत्तियों (असेट्स) को घोषित नहीं कर पाए थे (जैसे कि विदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों के बैंक खाते, विदेशी कंपनियों के ईएसओपी (ESOPs) वाले तकनीकी पेशेवर, भारत लौट चुके उन अनिवासी भारतीयों (नॉन-रेजिडेंट इंडियंस) (NRIs) की परिसंपत्तियां (असेट्स) जो आयकर विवरणी में उनका खुलासा करना भूल गए थे), उन्हें अब अपनी परिसंपत्तियों (असेट्स) की घोषणा करने तथा शास्ति (पैनल्टी) और अभियोजन (मुकदमे) से पूर्ण छूट प्राप्त करने के लिए एक बार का अवसर (वन-टाइम विंडो) मिल रहा है।
- संपूर्ण प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक है और कर कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

महत्वपूर्ण बिंदु

मुख्य विशेषताएँ:

- आवेदन की समयावधि - 16 अगस्त से 31 दिसंबर।
- अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों (असेट्स) की गणना और मूल्यांकन का तरीका **लघु करदाताओं की विदेशी परिसंपत्तियों की खुलासा योजना नियम, 2026** में दिया गया है।
- यदि मूल्यांकनकर्ता द्वारा विदेशी संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो "सूचकांकित लागत" (Indexed Cost) को उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) मानने का विकल्प उपलब्ध है।
- फॉर्म 2 और फॉर्म 4 इलेक्ट्रॉनिक रूप से–आयकर महानिदेशक (पद्धति) के माध्यम से जारी किए जाते हैं।

समय-सीमा

समय-सीमा इस प्रकार है:

चरण	समय सीमा
योजना के शुरू होने की प्रस्तावित तिथि	16 अगस्त, 2026
आवेदन (फॉर्म 1) जमा करने की अंतिम तिथि	31 दिसंबर, 2026
देय राशि का निर्धारण करने वाला आदेश (फॉर्म 2)	फॉर्म 1 दाखिल किए जाने वाले महीने के अंत से एक महीने के भीतर
निर्धारित राशि का भुगतान (फॉर्म 3 — भुगतान की सूचना)	फॉर्म 2 आदेश प्राप्त होने वाले महीने के अंत से दो महीने के भीतर
विलंब होने पर ब्याज सहित भुगतान (फॉर्म 3 — भुगतान की सूचना):	उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से अगले दो महीने, जिसमें विलंब के प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए 1% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय होगा
भुगतान को प्रमाणित करने वाला आदेश (फॉर्म 4)	फॉर्म 3 की सूचना प्राप्त होने वाले महीने के अंत से एक महीने के भीतर

आयकर विभाग

आयकर निदेशालय

(जन संपर्क, प्रकाशन व प्रचार)
छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

@incometaxindiaofficial @incometaxindia.official @IncomeTaxIndia
@incometaxindiaofficial @income-tax-india-official

अस्वीकरण: यह ब्रोशर केवल हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए है। संपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के लिए समय-समय पर जारी किए गए उपयुक्त अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ अवश्य लें।

www.incometax.gov.in

डिजाइन एवं मुद्रण: एसआरए प्रिंटिंग वर्क्स, नई दिल्ली